न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 विविध विविध-9077-I-16

श्री ... द्वारा आज दि. 24.5.16 को प्रस्तुत

सुधा नागेश्वर जामलकर पुत्री श्री नागेश्वर जामलकर भील, निवासी ग्राम बन्हेल तहसील भगवानपुरा जिला खरगौन म.प्र.

...... आवेदिका

बनाम

म.प्र. शासन ....अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152, 153 सी.पी.सी. एवं धारा 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (श्री एम.के. सिंह) द्वारा प्रकरण क्रमाक 4011/ 111/ 15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.12.2015 में संशोधन किये जाने बाबत।

श्रीमानजी,

निवेदन है कि आवेदिका की ओर से आदेश में संशोधन किए जाने बाबत आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2015 के पैरा 3 में सर्वे क्रमांक 312 रकवा 1.777 हेक्टरमें हिस्सा 13/15 के बाद रकवा 1.534 हेक्टर बढाया जाना है तथा आदेश के पैरा 5 में भी सर्वे क्रमांक 312 रकवा 1.777 हेक्टर में हिस्सा 13/15 के बाद रकवा 1.534 बढाया जाना है जबकि निगरानी में रकवा लिखा गया है सुधार किया जाना न्यायेाचित है।

2. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशमें पैरा1 लगायत 4 शर्ते निर्धारित की गई है।

शर्त क्रमांक 3 में " 6 माह की अवधि पुनः बढाई जावे।"

शर्त क्रमांक 4 को विलोपित किया जावे। क्योकिं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 21 अगस्त 2015 में " मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक 5 सन् 2015 मध्यप्रदेश भू रजास्व संहिता

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध–9077 एक/16 **जिला** –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
6.6.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 152, 153 सी.पी. सी. एवं धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है । उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रकरण कमांक 4011–तीन/15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.12.15 में पैरा –3 में सर्वे कमांक 312 रकवा 1.777 है0 में हिस्सा 13/15 के बाद रकबा 1.534 है0 बढाया जाना है तथा आदेश के पैरा 5 में भी सर्वे कमांक 312 रकवा 1.777 है0 में हिस्सा 13/15 के बाद रकबा 1.534 है0 बढाया जाना है । उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि यह रकबा निगरानी मेमों उल्लेख किया गया है। 2– उनके द्वारा यह कहा गया है कि पारित आदेश में पैरा 1 लगायत 4 शर्ते निर्धारित की गई है । शर्त कमांक 3 में छः माह की अवधि पुनः बढाई जाने की मांग की गई है। इसी प्रकार शर्त क0 4 को विलोपित किये जाने का निवेदन किया है क्यों कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 21.8. 2015 में " मध्यप्रदेश अध्यादेश कमांक 5 सन् 2015 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2015 में विषय सूची में संशोधन धारा 165 में किया गया था जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2015 में संशोधन प्रकाशित किया गया है। 3– निरसान तथा व्यावृत्ति –6 (1) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2015 (कमांक 5 सन् 2015) एतद	

द्वारानिरसित किया जता है । उनके द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त संशोधन निरस्त किया जा चुका है । इस कारण शर्त 4 आदेश से विलोपित की जावे।

4– आवेदक अधिवक्ता का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा पैरा –3 में सर्वे कमांक 312 रकबा 1.777 है0 हिस्सा 13/15 के बाद रकबा 1.534 है0 बढाया जाता है । इसी प्रकार पैरा 5 में भी सर्वे कमांक 312 रकबा 1.777 है0 में हिस्सा 13/15 के बाद रकबा 1.534 बढाये जाने के आदेश दिये जाते है। शर्त क0–3 में 6 माह की अवधि पुनः बढाये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तथा शर्त कमांक–4 को विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते ।

यह आदेश पत्रिका मूल प्रकरण कमांक निग0 4011–तीन/15 में पारित आदेश दिनांक 17.12.15 का मूल अंग मानी जावेगी।

सदस्य